

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 021
दूरभाष- 91-0755-2583650 फेक्स- 91-0755-2583651
ई-मेल dpinmp@sancharnet.in

क्र.विद्या/एन/2/योग/09-10/134
प्रति,

भोपाल, दिनांक 3/02/2010


1. समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।
2. समस्त संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय: योग नीति के क्रियान्वयन हेतु 1958 शासकीय उ.मा.वि/हाईस्कूलों को आवंटित राशि की उपयोगिता विषयक।

संदर्भ: लो. शि.संचालनालय का आदेश क्र. शा.शि./जी/ 01/बजट/09-10/1216-1217
दिनांक 29.12.2009।

लोक शिक्षण संचालनालय के विषयांकित संदर्भित आदेश द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग में डी.डी.ओ. कोड प्राप्त 1958 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/हाईस्कूलों को प्रति विद्यालय रु. 2000/- के मान से राशि आवंटित की गई थी तथा म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्र.स./स्कूल शि./09/37-38 दिनांक 7.01.2010 द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि इसका उपयोग दिनांक 12 जनवरी, 2010 को होने वाले सामूहिक सूर्य नमस्कार आदि गतिविधियों में उपयोग के लिए दरी आदि क्रय हेतु किया जाये। उक्त अनुसार राशि का व्यय पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला अंतर्गत समस्त प्राचार्यों से प्राप्त कर भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न - संदर्भित पत्र


(बी.आर.नायडू)
आयुक्त,
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 021
दूरभाष-91-0755-2583659 फेक्स- 91-0755-2583659
ई-मेल dpinmp@sancharnet.in

क्रमांक / शा शि / जी / 01 / बजट / 2009-10 / 1216

भोपाल, दिनांक 29 12 09

// आदेश //

वित्त वर्ष 2009-10 हेतु योग नीति के तहत योग से सम्बन्धित गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए प्रति विद्यालय रू.-2,000/- के मान से संलग्न सूची अनुसार कुल राशि रूपये 39,18,000/- (रूपये- उन्चालिस लाख अठारह हजार मात्र) स्कूल शिक्षा विभाग के 1959 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय / हाई स्कूल को राशि आवंटित की जाकर अग्रिम आहरण की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त व्यय बजट शीर्ष माग संख्या 77 स्कूल शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक शिक्षा को छोड़कर) 2202-सामान्य शिक्षा, 5196-योग नीति का क्रियान्वयन 34-सामग्री एवं पूर्तिया 009-अन्य आयोजना के अन्तर्गत विकलनीय होगा। कृपया वंटित राशि का व्यय करते समय समस्त वित्तीय नियमों का पालन करना सुनिश्चित करें। उक्त व्यय दिनांक 31.03.2010 तक व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

लेखाधिकारी (वित्त)

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 29 12 09

पृ.क्रमांक / स.प्र. / योग / बजट / 2009 / 1217

पत्रिका -

01. समस्त, कलेक्टर मध्यप्रदेश।
02. समस्त, सभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
03. समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
04. आयुक्त, कोष एवं लेखा म0प्र0, भोपाल।
05. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, म0प्र0
06. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल।
07. कोषालय अधिकारी, विध्याचल भवन, भोपाल।
08. संबंधित संकुल प्राचार्य, शासनादि / हाई स्कूल...
09. सहायक संचालक, लेखा (स्थानीय)
10. बजट कक्ष, (स्थानीय) की

ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

लेखाधिकारी (वित्त)

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश